रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022026-270107
CG-DL-E-13022026-270107

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 2026/माघ 23, 1947
No. 708]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2026/MAGHA 23, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

का.आ. 746(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि **उत्तर प्रदेश** राज्य के **एटा** जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या **321G** के **कि.मी. 51+600** से **कि.मी. 75+700** तक **(आगरा-जलेसर-एटा सेक्शन-2 मार्ग)** का निर्माण (चौड़ीकरण/दो-लेन का बनाने आदि) , अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप **अपर उपजिला अधिकारी (प्रथम), एटा (उत्तर प्रदेश)** को लिखित रूप मे किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वाराकिया गया कोई आदेश अंतिम होगा, और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

उत्तरप्रदेश राज्य के एटा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 321G के कि.मी. 51+600 से कि.मी. 75+700 तक (आगरा-जलेसर-एटा सेक्शन-2 मार्ग) निर्माण के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: एटा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: एटा					
गांव का नाम: निधौलीकलां					
1	1258	निजी	कृषि	0.0268 (हेक्टेयर)	0.0268
2	1259	निजी	कृषि	0.026 (हेक्टेयर)	0.026
3	1261	सामान्य	कृषि / बंजर	0.0136 (हेक्टेयर)	0.0136
गांव का नाम: दस्तमपुर					
4	260	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
				Total	**0.1164**

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH-321G/LA/2021-22/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2026

S.O. 746(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/2 laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of National Highway no. **321G** in the stretch of land from **K.m. 51+600 to k.m. 75+700 (Aagra-Jalesar-Etah-Section-2 Road)** in the district of **Etah,** in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Additional Sub-District Magistrate (First), Etah (Uttar Pradesh)** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such

objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, eitherallow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this nitification are available and can be inspected by by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from K.m. 51+600 to k.m. 75+700 (Agra-Jalesar-Etah-Section-2 Road) in the district of Etah, in the state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			**District: ETAH**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Etah					
Village: Nidhaulikalan					
1	1258	Private	Agriculture	0.0268 (Hectare)	0.0268
2	1259	Private	Agriculture	0.026 (Hectare)	0.026
3	1261	Common	Agriculture/Banjar	0.0136 (Hectare)	0.0136
Village: Dastampur					
4	260	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
				Total	**0.1164**

[F. No. CE-RO/LKO/NH-321G/LA/2021-22/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.13 16:01:43 +05'30'